राजस्थान सरकार
पंचम राज्य वित्त आयोग
प्रथम तल, बी–ब्लाक, वित्त भवन, जन पथ, जयपुर– 302005
फोन नं॰– 0141–2742881, 2742833, फैक्स नं॰– 2742875
Website: www.sfc.rajasthan.gov.in
E-mail Address: sfc-5@rajasthan.gov.in

प्रेस विज्ञप्ति

पंचम राज्य वित्त आयोग ने ''सशक्त पंचायत : सशक्त राजस्थान'' – राज्य वित्त आयोग की अभिनव पहल – नामक पुस्तिका पंचायती राज के जनप्रतिनिधियों की जानकारी के लिए तैयार की है। साथ ही आयोग ने 'नवप्रवर्तन उवं नवाचार' से सम्बन्धित एवं पेम्पलेट भी तैयार किया है तथा 'निकाय मित्र' नाम से एक फेसबुक पेज बनाया है ताकि राज्य की पंचायती राज संस्थाऐं एवं शहरी स्थानीय निकाय इससे जुड़कर अपनी समस्याओं एवं सफलताओं को साझा कर सके। इस सामग्री में पंचायतों की वित्तीय व्यवस्था से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी, पंचम राज्य वित्त आयोग को सौंपे गये कार्यों (TOR) का विवरण, केन्द्र एवं राज्य वित्त आयोगों की सिफारिशों के तहत पंचायतों को मिलने वाली राशि का उपयोग किस प्रकार किया जाए, किस प्रकार प्रोत्साहन अनुदान की अतिरिक्त राशि प्राप्त की जाए व मुख्यमंत्री के बजट भाषण 2016–17 में पंचायती राज व्यवस्था के बारे में की गई महत्वपूर्ण घोषणाओं पर सरल भाषा में प्रकाश डाला गया है। आयोग द्वारा मई, 2015 में गठन के पश्चात् निम्न नवाचार किये गये हैं:–

- आयोग ने वर्ष 2015–16 के लिए अपने अंतरिम प्रतिवेदन में पंचायती राज संस्थाओं / शहरी स्थानीय निकायों को 3271.81 करोड़ रूपये अनुदान दिये जाने की सिफारिश की। इसमें से 2457. 13 करोड़ रूपये पंचायती राज संस्थाओं एवं 814.68 करोड़ रूपये शहरी स्थानीय निकायों को दिये गये हैं।
- आयोग ने जिलों में परस्पर धनराशि के वितरण हेतु Global Sharing Mechanism अपनाते हुए एक Innovative Index तैयार किया जिसके अनुसार शिशु लिंग अनुपात की वरीयता को 5 प्रतिशत से बढाकर 10 प्रतिशत किया गया।
- भारत सरकार द्वारा कराई गयी सामाजिक, आर्थिक जाति जनगणना–2011 के 7 मानदण्ड़ों पर वंचन को 10 प्रतिशत वरीयता दी गई जिससे पिछड़े स्तर के जिलों को अधिक राशि उपलब्ध हो सके।

- 5 प्रतिशत राशि निष्पादन हेतु प्रोत्साहन अनुदान के लिए रखी गई जिसमें आय–व्यय, आस्ति रजिस्टर, स्वयं के राजस्व में वृद्धि एवं भामाशाह कार्ड नांमाकन एवं वितरण के कार्य शामिल किये गए।
- प्रशासन स्तर में सुधार एवं राष्ट्रीय/राज्य महत्व की योजनाओं हेतु 10 प्रतिशत राशि दिये जाने की सिफारिश की है। यह राशि ई–गवर्नेंस/अटल सेवा केन्द्र, डेटाबेसों का रख–रखाव, सूचना प्रोद्यौगिकी, राजस्व वृद्धि क्षमता निर्माण, बेटी बचाओ–बेटी पढाओ, पेयजल व्यवस्था, स्वच्छ भारत अभियान आदि पर व्यय की जा रही है।
- भारत सरकार के 14वें केन्द्रीय वित्त आयोग ने जिला परिषदों एवं पंचायत समितियों को कोई अनुदान राशि नहीं दी है। इस कमी की पूर्ति हेतु इस आयोग ने जिला परिषद् को मिलने वाली राशि 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 5 प्रतिशत एवं पंचायत समिति को मिलने वाली राशि को 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत किया है। 14वें केन्द्रीय वित्त आयोग ने वर्ष 2015–16 में ग्राम पंचायतों को 1472 करोड़ रूपये अनुदान दिया है।
- राज्य सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण एवं जिला परिषद / पंचायत समिति सदस्य के लिए माध्यमिक विद्यालय परीक्षा उत्तीर्ण एवं सरपंच के लिए अनुसूचित क्षेत्र में कक्षा 5 उत्तीर्ण एवं अन्य क्षेत्रों में कक्षा 8 उत्तीर्ण के प्रावधान इन संस्थाओं में पढ़े लिखे लोगों के जुड़ने से कार्य में दक्षता बढ़ेगी एवं जनहितकारी सिद्ध होगी।
- वित्त आयोग के तत्वावधान में सोशल मीडिया द्वारा सीधे संवाद व Success Story Sharing.
- अर्थशास्त्रियों एवं विषय विशेषज्ञों के साथ संवाद आयोजित करके निकायों को सक्षम करने के उपायों की खोज।
- संभाग स्तर से ग्राम पंचायत स्तर तक आयोग की बैठकों का आयोजन किया गया।
- पंचायती राज संस्थाओं के जनप्रतिनिधियों से विभिन्न स्तरों पर वार्ताऐं की गई।
- अन्य राज्यों यथा महाराष्ट्र, दिल्ली में आयोग के कार्यों का अध्ययन।
- पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित कार्यशाला में भाग लिया व राजस्थान की ओर से प्रस्तुतिकरण किया, जिसे सराहना मिली।

आशा है यह सामग्री पंचायती राज एवं शहरी स्थानीय निकायों से जुड़े जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों के लिए उपयोगी सिद्ध होगी।

आयोग द्वारा तैयार की गई इस उपयोगी सामग्री का माननीय मुख्यमंत्री महोदया द्वारा सोमवार दिनांक 04.04.2016 को विधानसभा स्थित अपने कार्यालय में विमोचन किया गया। इस दौरान आयोग की अध्यक्षा डॉ. ज्योति किरण, सदस्य श्री प्रद्युम्न सिंह, सदस्य सचिव श्री एस.सी.देराश्री एवं आयोग के अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित थे।